नई शिक्षा नीतिः एक सम्पूर्ण विश्लेषण

लेखक- रीतिका चोपड़ा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शिक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

31 जुलाई, 2020

''नई शिक्षा नीति 2020: इस आलेख में हम इस नयी नीति के क्रियान्वयन, पाठ्यक्रम, सीखने के माध्यम और छात्रों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए क्या-क्या नए विचार पेश किए गये हैं, उन प्रस्तावों पर एक नजर डालेंगे।''

बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को मंजूरी दे दी, जिसमें स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है।

NEP का उद्देश्य क्या है?

एनईपी देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस तरह की नीति की आवश्यकता पहली बार 1964 में महसूस की गई थी, जब कांग्रेस के सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद ने शिक्षा के लिए एक दृष्टि और स्पष्ट विचार की कमी के लिए तत्कालीन सरकार की आलोचना की थी। उसी वर्ष, एक 17-सदस्यीय शिक्षा आयोग, जिसकी अध्यक्षता यूजीसी के अध्यक्ष डी.एस. कोठारी ने की थी, का गठन शिक्षा पर एक राष्ट्रीय और समन्वित नीति का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। इस आयोग के सुझावों के आधार पर, संसद ने 1968 में पहली शिक्षा नीति पारित की।

एक नयी एनईपी आमतौर पर हर कुछ दशकों में आती है। भारत के पास अब तक तीन शिक्षा नीतियाँ हैं। पहली 1968 में और दूसरी 1986 में क्रमशः इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अधीन आयी; फिर 1986 की एनईपी को 1992 में संशोधित किया गया जब पी. वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तीसरी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में बुधवार को जारी किया गयी है।

मुख्य बिंदु क्या हैं?

एनईपी में भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालयों में खोलने, यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) का विघटन, कई निकास विकल्पों के साथ चार-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत और एम.फिल कार्यक्रम को बंद करने सहित कई व्यापक बदलावों का प्रस्ताव किया गया है।

स्कूली शिक्षा में, इस नीति में पाठ्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने, 'आसान' बोर्ड परीक्षा, पाठ्यक्रम के सार तत्व को बनाये रखने के लिए नए दृष्टिकोण को अपनाना और 'अनुभवात्मक शिक्षा और महत्त्वपूर्ण विचार' को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

1986 की नीति से एक महत्त्वपूर्ण बदलाव में, जिसने स्कूली शिक्षा की 10+2 संरचना के लिए बढ़ावा दिया था, नई एनईपी 3-8 वर्ष (बुनियादी उम्र), 8-11 (प्रारंभिक), 11-14 (मध्य) और 14-18 (माध्यमिक) वर्ष की आयु वर्ग के अनुरूप ''5+3+3+4'' डिजाइन पर जोर देती है। यह शुरूआती शिक्षा (औपचारिक रूप से 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जिसे प्री-स्कूल शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है) को औपचारिक स्कूली शिक्षा के दायरे में लाती है। इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक प्री-प्राइमरी शिक्षा को वर्ष 2025 तक सार्वभौमिक किया जायेगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्री-स्कूल बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। NEP के अनुसार, कक्षा 5 तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए।

इस नीति के तहत सभी संस्थानों को एकल धाराएं प्रदान करने का प्रस्ताव है और सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को वर्ष 2040 तक बहु-विषयक बनाने का लक्ष्य है। NEP-2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

इन सुधारों को कैसे लागू किया जाएगा?

एनईपी केवल एक व्यापक दिशा प्रदान करती है और इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है (केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती हैं), प्रस्तावित सुधार केवल केंद्र और राज्यों द्वारा सहयोगात्मक रूप से लागू किए जा सकते हैं और इसमें समय लगेगा। संपूर्ण रूप से सरकार ने पूरी नीति को लागू करने के लिए वर्ष 2040 का लक्ष्य रखा है। पर्याप्त धन का होना भी इस संदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण है; 1968 में एनईपी फंड की ही कमी से काफी प्रभावित हुई थी।

सरकार की योजना है कि NEP के प्रत्येक पहलू के लिए कार्यान्वयन योजनाओं को विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रासंगिक मंत्रालयों के सदस्यों के साथ विषयवार समितियों का गठन किया जाए। योजनाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों, NCERT, शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सहित कई निकायों द्वारा की जाने वाली

GS WORLD

कार्रवाइयों को सूचीबद्ध करेंगी। नियत लक्ष्यों के संदर्भ में प्रगति की वार्षिक संयुक्त समीक्षा के बाद नियोजन किया जाएगा।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा पर जोर देने का क्या मतलब है?

इस तरह का प्रयास नया नहीं है अर्थात् देश के अधिकांश सरकारी स्कूल पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। निजी स्कूलों के संदर्भ में,यह संभव नहीं है कि उन्हें अपने शिक्षा के माध्यम को बदलने के लिए कहा जाए। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर प्रावधान राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। "शिक्षा एक समवर्ती विषय है। यही कारण है कि नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में, जहाँ भी संभव हो, पढ़ाया जाए।"

स्थानांतरणीय नौकरियों में कार्यरत लोगों के बारे में या बहुभाषी माता-पिता के बच्चों के बारे में क्या है इस नीति में?

एनईपी विशेष रूप से स्थानांतरणीय नौकरियों वाले माता-पिता के बच्चों पर कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन बहुभाषी परिवारों में रहने वाले बच्चों को स्वीकार करती है: "शिक्षकों को द्विभाषिक शिक्षण सामग्री सहित द्विभाषिक दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।"

पारंपरिक ज्ञान

जनजातीय तथा देशज ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान पद्धतियों को पाठ्यक्रम में परिशुद्ध तथा वैज्ञानिक तरीके से सम्मिलित किया जाएगा। आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्रों, जहाँ बड़ी संख्या में छात्रों को आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, को 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' के रूप में नामित किया जाएगा। सभी लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार 'लैंगिक समावेशी कोष' की स्थापना करेगी।

उच्च शिक्षा देने के लिए सरकार की योजना क्या है?

दस्तावेज के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 100 में से कोई भी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस (campus) स्थापित कर सकता है। हालांकि इसमें शीर्ष 100 को परिभाषित करने के लिए मापदंडों को विस्तृत नहीं किया गया है,ऐसी संभावना है कि सरकार 'क्यूएसवर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' (QS World University Rankings) का उपयोग कर सकती है क्योंकि अतीत में 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस' की स्थिति के लिए विश्वविद्यालयों का चयन करते समय इस पर भरोसा किया जाता रहा है।हालांकि, इसमें से कोई भी शुरू नहीं हो सकता है जब तक कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक नया कानून नहीं लाता है जिसमें यह विवरण शामिल हो कि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैसे संचालित होंगे।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि एक नया कानून विदेशों में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस की स्थापना के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगा। 2013 में, जब UPA-II एक समान विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, तब भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए येल, कैम्ब्रिज, MIT और स्टैनफोर्ड, एडिनबर्ग और ब्रिस्टल विश्वविद्यालय सहित शीर्ष 20 वैश्विक विश्वविद्यालयों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।

हालाँकि, विभिन्न संस्थानों के मध्य अकादमिक क्रेडिटों को अंतरित एवं गणना को आसान करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जायेगी।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की भागीदारी वर्तमान में उन्हें सहयोगी ट्विनिंग कार्यक्रमों में प्रवेश करने, भागीदारी संस्थानों के साथ संकाय साझा करने और दूरस्थ शिक्षा की पेशकश करने तक सीमित है। भारत में 650 से अधिक विदेशी शिक्षा प्रदाताओं की ऐसी व्यवस्था है।

चार वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम कैसे काम करेगा?

यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह नीति दिल्ली विश्वविद्यालय को सरकार के आदेश पर चार साल के स्नातक कार्यक्रम को रद्द करने के लिए मजबूर करने के छह साल बाद आई है। नई एनईपी में प्रस्तावित चार साल के कार्यक्रम के तहत, छात्र एक साल के बाद एक प्रमाण पत्र के साथ, दो साल के डिप्लोमा के बाद और तीन साल के बाद स्नातक की डिग्री के साथ बाहर निकल सकते हैं। वैज्ञानिक और यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष वी.एस. चौहान ने कहा कि "चार साल के स्नातक कार्यक्रमों में आम तौर पर शोध कार्य की एक निश्चित मात्रा शामिल होती है और छात्र को उस विषय में गहन ज्ञान प्राप्त होगा। चार साल के बाद, एक बीए के छात्र को एक शोध डिग्री कार्यक्रम में सीधे प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, मास्टर डिग्री प्रोग्राम जारी रहेंगे, जैसा कि वे पहले से करते आए हैं और फिर छात्र पीएचडी प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

एम. फिल कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्री चौहान ने कहा कि इसे उच्च शिक्षा प्रक्षेपवक्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ''सामान्य पाठ्यक्रम में, एक मास्टर की डिग्री के बाद एक छात्र पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकता है। यह लगभग पूरी दुनिया में मौजूदा प्रथा है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में, जिनमें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और अन्य शामिल हैं, एम.फिल एक मास्टर और पीएचडी के बीच एक मध्यम शोध की डिग्री थी। जो लोग एम.फिल में प्रवेश कर चुके हैं, उनमें से अधिकाँश ने पीएचडी की डिग्री के साथ अपनी पढ़ाई समाप्त नहीं की है। इस तरह एम.फिल डिग्री धीरे-धीरे एक पीएचडी कार्यक्रम के पक्ष में समाप्त हो गई है।"

GS WORLD

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. नयी शिक्षा नीति (NEP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:-

1. वर्ष 1968 की राष्ट्रिय शिक्षा नीति में पहली बार 10+2 संरचना को अपनाया गया था।
2. NEP-2020 के अनुसार, कक्षा 5 तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए।
3. NEP-2020 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 3% से बढ़कर वर्ष 2035 तक 50% करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 3 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of 'New Education Policy (NEP)': -

1. The 10+2 structure was adopted for the first time in the National Policy of Education of 1968.
2. According to NEP-2020, students up to class 5 should be taught in their mother tongue and English language.
3. NEP-2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education from 3% to 50% by 2035.

Which of the above statements is / are correct?

(a) 3 only (b) 2 only

(c) 1 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. नयी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' क्या है? इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिये। साथ ही बताइए कि यह भारतीय शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण में किस प्रकार योगदान देगी?

Q. What is the new 'National Education Policy-2020'? Mention its major provisions. Also, explain how it will contribute to strengthening of Indian education sector.

GS WORLD